आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

आदेश

विविध वाद संख्या–02/2018–19

(धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

सुनील मेहता ———— प्रथम पक्ष

बनाम्

प्रसाद साव वगैरह———————— द्वितीय पक्ष

07.06.2018 यह प्रक्रिया थाना प्रभारी, पीपरा के अप्राथमिकी संख्या–02/18 दिनांक 09.04.2018 के आधार पर धारा 144 द0 प्र0 सं0 अन्तर्गत प्रक्रिया प्रारम्भ की गई जिसमें सुनील मेहता पिता– लक्ष्मण मेहता, ग्राम– सोनवे, थाना– पीपरा, जिला– पलामू को वादी तथा प्रसाद साव पिता–स्व0 कुलदीप साव 2. तुलसी साव, 3. अमेरिका साव, 4. महेन्द्र साव, 5. सुरेन्द्र साव, चारो के पिता– स्व0 गुलेटन साव, 6. बैजनाथ साव, 7. सीताराम साव, 8. सुखलाल साव, 9. विनोद साव चारो के पिता– स्व0 सरजू साव, 10. रामलाल साव पिता– सीताराम साव सभी ग्राम– सोनवे, थाना– पीपरा, जिला– पलामू को प्रतिवादी बनाया गया। प्रक्रिया की भूमि मौजा– गहौरा के खाता सं0– 31, प्लॉट सं0– 59, रकबा– 2.50 एकड़, चौहद्दी उत्तर– विजय साव, दक्षिण– दुखन कुंवर नीज, पूरब–

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्यव टिप्प सहित
1	2	

सुरेश साव वगैरह, पश्चिम— गणेश साव वगैरह से संबंधित है। उभय पक्षों को नोटिस निर्गत कर उनसे कारण पृच्छा की मांग की गई। नोटिस के आलोक में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने कारण पृच्छा के अनुरूप बहस करते हुए बताया कि वाद भूमि प्रथम पक्ष कि पैतृक संपति है जो उनके पूर्वजों ने विभिन्न विकय पत्रों से कय किये हैं जिसका सरकारी लगान रसीद उनके पूर्वजों के नाम से निर्गत होते चला आ रहा हैं तथा उक्त भूमि पर उनका दखल—कब्जा एवं स्वामित्व स्थापित है। आगे विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि विपक्षी ने प्रथम पक्ष के पूर्वज के बीच मौजा— गहौरा के खाता सं0— 31, प्लॉट सं0— 59 कुल रकबा 2.50 एकड़ भूमि पर विविध वाद सं0— 425/1992 धारा 144 दं0 प्र0 सं0 का मुकदमा दायर किया था जिसमें दिनांक 30.10.1992 को प्रथम पक्ष के पूर्वज के पक्ष में आदेश पारित हुआ था। विपक्षी के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित मामला व्यवहार न्यायाल, डालटनगंज में बंटवारा वाद सं0— 43/2007 दायर किया गया है जो वर्तमान में विचाराधिन है, जिसमें प्रथम पक्ष के पिता के द्वारा लिखित कथन दाखिल किया गया है। अतः प्रथम पक्ष के पक्ष में निर्गत नियम रिक्त किया जाय तथा विपक्षी को प्रकिया

देश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

भूमि पर जाने से रोक लगाई जाय।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि वाद भूमि के ऊपर प्रथम पक्ष का किसी भी प्रकार का हक दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार नहीं है। प्रथम पक्ष का वाद भूमि पर दावा करना निराधार है। इस वाद भूमि के ऊपर निर्मला देवी पति– नरेश सिंह को दान पत्र सं0–2346 दिनांक 28.10.1993 के आधार पर हक, दखल– कब्जा एवं स्वामित्व का अधिकार अर्जित है। निर्मला देवी ने निबंधित विकय पत्र सं0–1210, 1211, एवं 1212 दिनांक 04.06.1991 के द्वारा इस वाद की भूमि को द्वितीय पक्ष के तुलसी साव, अमेरिका साव, महेन्द्र साव एवं सुरेन्द्र साव के पक्ष में निबंधित कर दिया जिसके आधार पर केतागण का दखल– कब्जा हुआ। विकय पत्र के आधार पर केतागण का नामांतरण हुआ। द्वितीय पक्ष के नाम से सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है। द्वितीय पक्ष के खरिदगी भूमि का मापी सीमांकन वाद सं0– 42/1992–93 से अंचल कार्यालय के द्वारा किया जा चुका है। प्रथम पक्ष को विवादी भूमि से कोई सरोकार नहीं है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को परेशान करने के लिए यह मुकदमा दायर किये हैं। विवादी भूमि पर द्वितीय पक्ष का शांतिपूर्ण दखल– कब्जा है। इसप्रकार निर्गत नियम द्वितीय पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा प्रथम पक्ष के विरूद्ध निरपेक्ष किया जाय।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस को सुना। उभय पक्ष के कारण पृच्छा एवं अभिलेख में

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आ का टि सा
1	2	
	संलग्न राजस्व दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त ज्ञात होता है कि वाद भूमि से संबंधित मामला सक्षम न्यायालय में विचाराधिन है ऐसी स्थीति में इस वाद में कोई भी आदेश पारित करना न्यायहित में नहीं है। अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)। — अनुमण्डल दण्डाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।	

Digitally signed by ASHISH GANGWAR
Date: 2025.01.29 13:24:20 +05:30
Location: 192.168.1.13